

दिनांक: 16 अगस्त 2023

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में निधियों का दुरुपयोग

इस लेख में "दैनिक करंट अफेयर्स" और विषय विवरण "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में धन का दुरुपयोग" शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के सामाजिक न्याय शासन अनुभाग में "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) में धन का दुरुपयोग" विषय प्रासंगिक है।

प्रीलिम्स के लिए:

- पेंशन फंड के दुरुपयोग के बारे में?
- नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के बारे में?

मुख्य परीक्षा के लिए:

- सामान्य अध्ययन: सामाजिक न्याय।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के बारे में?

सुर्खियों में क्यों-

- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के अनुसार, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं भी शामिल हैं, के लिए निर्धारित धनराशि को ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा कई अन्य कार्यक्रम योजनाओं के प्रचार-प्रसार में लगा दिया गया।



भारत सरकार - GOVERNMENT OF INDIA
ग्रामीण विकास मंत्रालय - Ministry of Rural Development
NSAP (e-Governance Application)
National Social Assistance Programme
Pension Processing System (NSAP-PPS) - State Scheme enabled

पेंशन फंड के दुरुपयोग के बारे में-

- 1995 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में कमजोर व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है हालांकि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की हालिया जाँच के निष्कर्ष, NSAP के निष्पादन में धन के दुरुपयोग और अनियमितताओं के उदाहरणों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।

प्रचार के लिए पेंशन फंड का दुरुपयोग:-

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने एनएसएपी के लिए आवंटित धन को अन्य मंत्रालय योजनाओं के प्रचार अभियानों के लिए उपयोग किया।
- प्रशासनिक लागतों और पेंशन के भुगतान के लिए आवंटित धन का दुरुपयोग किया गया। मंत्रालय स्तर पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के भीतर धन की हेराफेरी का पता चला।
- 2017 में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) ने विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए होर्डिंग्स के माध्यम से एक प्रचार अभियान शुरू किया। होर्डिंग के लिए लगभग 39.15 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जबकि कई राज्यों में अभियानों के लिए लगभग 2.44 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मूल रूप से अभियान के लिए धन उपलब्ध कराने वाली थी; हालाँकि, अंततः वे एनएसएपी कार्यक्रमों से धन का उपयोग में लाया गया।

विज्ञापन विसंगतियां: -

- कैग की रिपोर्ट में एनएसएपी योजनाओं से संबंधित विज्ञापन कार्य आदेशों में विसंगतियों को उजागर किया गया है। एनएसएपी संसाधनों से वित्त पोषित होने के बावजूद, विज्ञापनों में प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जैसी योजनाओं पर जोर दिया गया है, जो एनएसएपी से संबंधित योजना नहीं थी।

फंड डायवर्जन में राज्यों की मिलीभगत:-

- छह राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, गोवा और बिहार) में पेंशन योजनाओं के लिये आवंटित धनराशि का दुरुपयोग किया गया।
- इन विपथनों ने अपने इच्छित लाभार्थियों के लिए संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में चिंताओं को जन्म दिया।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के बारे में:-

- 15 अगस्त, 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में व्यक्तियों और परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करना है।



राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के घटक:-

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):** इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल व्यक्तियों को 200 रुपये की और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपये तक मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)** इस योजना में शामिल 40-59 वर्ष की बीपीएल विधवाओं को 200 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS):** इस योजना के तहत गंभीर और बहु विकलांगता वाले 18-59 वर्ष की आयु के बीपीएल व्यक्तियों को 200 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस):** 18-64 वर्ष की आयु के प्राथमिक कमाने वाले की मृत्यु पर बीपीएल परिवारों को 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

कार्यान्वयन:-

- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों या डाक खातों में धन वितरण के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड का उपयोग करता है।
- दिशानिर्देशों, रिपोर्ट, शिकायत निवारण आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला एक वेब पोर्टल है।

प्रभाव:-

- गरीबी में कमी, बेहतर जीवन स्तर और लाभार्थियों के सशक्तिकरण में सहायता प्रदान करना।
- गरीबी उन्मूलन, सामाजिक संरक्षण और समावेश से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित।

- 2017 और 2021 के बीच, लगभग 4.65 करोड़ लाभार्थियों ने वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता पेंशन और पारिवारिक लाभों पर निर्भर थे।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG):

भूमिका और प्राधिकरण

- कैग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो सार्वजनिक वित्त में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।

संचालन:-

- संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति सरकार और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- सार्वजनिक धन और संसाधनों के उचित उपयोग का आश्वासन।
- यह वह संस्था है जिसके माध्यम से संसद और राज्य विधानमंडलों और सरकारों और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं की जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
- वह राष्ट्रपति को ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है।

कैग की स्वतंत्रता:-

- संविधान का अनुच्छेद 148 कैग के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करता है।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।

संविधान में प्रासंगिकता:

- अनुच्छेद 149-151 कर्तव्यों और शक्तियों, खातों के रूप और लेखा परीक्षा रिपोर्टों को रेखांकित करता है।
- अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना आदि का विवरण देता है।
- तीसरी अनुसूची और छठी अनुसूची क्रमशः कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों की शपथ या प्रतिज्ञान और प्रशासन से संबंधित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न- 01 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा है?

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।

नीचे से सही उत्तर चुनें:

1. 1, 2 और 3
2. केवल 2
3. केवल 1 और 3
4. केवल 3

उत्तर: 1

प्रश्न-02 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की अनुमति के बिना सरकारी खजाने से कोई धन प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
- वह राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर:4

दैनिक अभ्यास मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न 03: सरकारी व्यय में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की भूमिका और महत्व पर चर्चा कीजिए।

Rajiv Pandey

एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान

इस लेख में "दैनिक समसमायिकी" और विषय विवरण "एशियाई हाथी आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान" शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के "पर्यावरण" खंड में "एशियाई हाथी आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान" विषय की प्रासंगिकता है।

प्रीलिम्स के लिए:

- एशियाई हाथी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?
- हाथी परियोजना क्या है?

मुख्य परीक्षा के लिए:


- सामान्य अध्ययन-03: पारिस्थितिकी और पर्यावरण

सुर्खियों में क्यों?

- 2023 के लिए एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी अनुमान पर एक अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

एशियाई हाथी-

- एशियाई हाथी, जिसे वैज्ञानिक रूप से एलिफस मैक्सिमस के रूप में जाना जाता है, एशिया में सबसे बड़े भूमि स्तनपायी जीव है। इसकी भौगोलिक सीमा में दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप सभी शामिल हैं।



आवास:-

- विविध आवासों के लिए अनुकूलनशीलता: एशियाई हाथी अर्ध-शुष्क कांटेदार और झाड़ीदार जंगलों से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों तक, कई प्रकार के आवासों के लिए अनुकूल होते हैं।
- भौगोलिक सीमा और आवास विविधता: एशियाई हाथी का निवास स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 रेंज देशों में फैला हुआ है, जिसमें शुष्क से गीले जंगल और घास के मैदान और वन पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।
- विविध खाद्य प्राथमिकताएं और अनुकूलन: उनकी अनुकूलन क्षमता इस तथ्य में देखी जा सकती है कि क्षेत्र के आधार पर उनकी भोजन प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन "मेगा-शाकाहारी" को जीवित रहने के लिए भोजन और जल संसाधनों से भरे व्यापक वन और घास के मैदान क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।

- भारत में, एशियाई हाथी एक समय पूरे देश में पाए जाते थे, जिसमें गुजरात और पंजाब जैसे राज्य भी शामिल थे। हालांकि, उनका वर्तमान वितरण देश के दक्षिणी, उत्तरी, मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में पृथक आबादी तक ही सीमित है।

उपस्थिति:-

- एशियाई हाथियों के छोटे, अधिक गोल कान उन्हें पहचानने में आसान बनाते हैं। उनकी पीठ पर अक्सर एक कूबड़ होता है, दो कूबड़ वाला एक डबल-गुंबददार सिर होता है, और पकड़ने के लिए उनकी सूंड की नोक पर एक "उंगली" जैसा प्रक्षेपण होता है।
- एशियाई हाथी ऐलिफ़स प्रजाति की एकमात्र जीवित जाति है जो पश्चिम में भारत से लेकर पूर्व में बोर्नियो द्वीप तक पाया जाता है। इसकी तीन उपजातियाँ पहचानी जाती हैं — ऐलिफ़स मॉक्सिमस मॉक्सिमस श्रीलंका में, भारतीय हाथी एशियाई मुख्यभूमि में, तथा ऐलिफ़स मॉक्सिमस सुमात्रेनस इंडोनीशिया के सुमात्रा द्वीप में।

लक्षण:

- एशियाई हाथी बेहद मिलनसार जानवर हैं जो सबसे बुजुर्ग मादा या कुलमाता के नेतृत्व में छह से सात संबंधित मादाओं के झुंड में रहते हैं।
- ये झुंड कभी-कभी दूसरों के साथ मिलकर बड़े झुंड बनाते हैं, हालांकि ये गठबंधन आमतौर पर अफ्रीका की तुलना में संक्षिप्त होते हैं।
- एशियाई हाथी अर्ध-शुष्क कांटेदार और झाड़ियाँ वाले जंगलों से लेकर आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगलों तक, कई अलग-अलग प्रकार के आवास में रहते हैं।
- हाथी लंबी दूरी तक संवाद करने के लिए कम आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते। इन शक्तिशाली इन्फ्रासोनिक गड़गड़ाहट में निहित विशिष्ट संदेशों को दो मील से अधिक दूर स्थित अन्य हाथियों द्वारा सुना और समझा जा सकता है।
- उनका भोजन खोजने का व्यवहार विविध है, वे दिन के दो तिहाई से अधिक समय तक बड़ी मात्रा में पेड़ों की छाल, जड़ों, पत्तियों और छोटे तनों के अलावा घास का सेवन करते हैं।
- यहां तक कि चावल, गन्ना और केले जैसे खेती वाले खाद्य पदार्थ भी उनके द्वारा खाए जाते हैं। अपने आहार को बनाए रखने के लिए, उन्हें ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है वे मीठे पानी के विश्वसनीय स्रोत के करीब रहते हैं।

संरक्षण स्थिति-

- एशियाई हाथी को आईयूसीएन (IUCN) की रेड लिस्ट में एनडैजर्ड (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972:** भारतीय हाथी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध करके कानूनी सुरक्षा भी प्रदान की गई है।
- **CITES: परिशिष्ट I** (जिन प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, उन्हें केवल असाधारण परिस्थितियों में कारोबार करने की अनुमति है।)
- फरवरी 2020 में गांधीनगर, गुजरात में आयोजित सीएमएस के 13वें पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी-13) में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन (सीएमएस) की अनुसूची-1 में भारतीय हाथी को शामिल किया गया है।

खतरा:

- निवास स्थान का नुकसान
- मानव-पशु संघर्ष
- वन्यजीवों का अवैध व्यापार

भारत में हाथियों की संख्या:-

- दुनिया भर में एशियाई हाथियों की आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में है।

- वर्तमान जनसंख्या अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी हैं, जिनमें से लगभग 30,000 भारत में रहते हैं।

सरकार की पहल- हाथी परियोजना:

- हाथी परियोजना, जिसे भारत में हाथियों के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवास तथा गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1991-1992 में शुरू की गई थी।

विश्व हाथी दिवस:

- विश्व हाथी दिवस दुनिया भर में 12 अगस्त को मनाया जाता है, जोकि पारिस्थितिकी तंत्र में इन "सौम्य दिग्गजों" के महत्व पर जोर देता है।
- विश्व हाथी दिवस हाथियों के सामने आने वाले गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, मानव संघर्ष और कैद में दुर्व्यवहार शामिल है।

हाथी गलियारा:

- मंत्रालय देश भर में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के उद्देश्य से केन्द्रीय हाथी परियोजना प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार वन्यजीव-प्रेरित फसल क्षति के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को फसल बीमा प्रदान करती है।

समाचार के बारे में अधिक-

- 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के पहले, कर्नाटक के वन मंत्री द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। कर्नाटक और उसके पड़ोसी राज्यों: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के वन विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास से रिपोर्ट को आधार बनाकर सावधानीपूर्वक तैयार किया गया।
- 2017 के बाद से, कर्नाटक में हाथियों की संख्या अनुमानित 6,049 से 346 बढ़कर 6,395 हो गई है। अब किसी भी अन्य भारतीय राज्य की तुलना में यहां अधिक हाथी हैं। कर्नाटक में हाथियों की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में उतार-चढ़ाव आया है, जो 2010 में 5,740 से बढ़कर 2012 में 6,072 हो गई है।
- एशियाई हाथियों की आबादी के मामले में कर्नाटक के बाद असम, केरल और तमिलनाडु का स्थान है। भारत के सभी हाथियों में से लगभग 44 प्रतिशत चार दक्षिण भारतीय राज्यों कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं।
- हालांकि, नवीनतम गणना में, 346 हाथियों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नतीजतन, राज्य में इन राजसी जानवरों की कुल संख्या 2010 के बाद से 655 बढ़ गई है।

स्रोत:- द हिन्दू

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-01. एशियाई हाथी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एशियाई हाथी दुनिया में सबसे बड़े भूमि स्तनपायी जीव का खिताब रखता है।
2. हाथी लंबी दूरी तक संवाद करने के लिए उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं।
3. एशियाई हाथी का निवास स्थान दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 13 रेंज देशों में फैला हुआ है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2 और 3
3. केवल 3
4. उपरोक्त में कोई नहीं।

उत्तर: (a)

प्रश्न-02. निम्नलिखित पर विचार करें:

1. हाथी परियोजना भारत में हाथियों की रक्षा के उद्देश्य से संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए एक केंद्रीय योजना के रूप में शुरू की गई थी।

2. दुनिया भर में रहने वाले 80% एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं।
3. एशियाई हाथियों की आबादी कर्नाटक में सबसे अधिक है, इसके बाद तमिलनाडु और केरल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. उपरोक्त में सभी।
4. उपरोक्त में कोई नहीं।

उत्तर: (a)

मुख्य परीक्षा प्रश्न-

प्रश्न-03- मानव-हाथी संघर्ष ग्रामीण समुदायों और एशियाई हाथियों की आबादी दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस संघर्ष में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करें और समग्र रणनीतियों पर चर्चा कीजिए जो इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। (250 शब्द)

Rajiv Pandey

